HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 448/2026

Suraj S/o Shri Pokharmal, Aged About 34 Years, Resident Of Village Dhani Bhagwanpura Ki Dhani/ghosalya Ki Dhani, Tikel Narukan, Gram Panchayat Kaansel, Post Mandor, Tehsil Phagi, District Jaipur, Rajasthan

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Shyojiram Jat S/o Harnath Jat, Resident Of Village Dedu, Tehsil Mauzmabad, District Jaipur, Rajasthan

----Respondents

For Petitioner(s)	:	None Present.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Order</u>

<u>07/05/2026</u>

याची पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

आई.ए. 1/26 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा समर्पण किये जाने से छूट प्रदान की जावे।

प्रकरण में अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। बिना किसी उचित आधार के अभियुक्त को समर्पण से छूट प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः **आई.ए. 1/26** खारिज किया जाता है।

<u>S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No. 127/2026</u>:-

राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 323 के अनुसार अभियुक्त के समर्पण किये बिना यह दण्डादेश स्थगन आवेदन सुनवाई हेतु

RAJASTHAN HIGH COURT

स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यह दण्डादेश स्थगन आवेदन खारिज किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा समर्पण किये जाने के पश्चात् यदि कोई नवीन दण्डादेश स्थगन आवेदन पेश होता है, तो उस पर नये सिरे सुनकर विचार किया जायेगा।

S.B. Criminal Revision Petition No. 448/2026:-

चूंकि अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया गया है तथा दण्डादेश स्थगित भी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में कार्यालय द्वारा इस आदेशिका की प्रति प्रेषित करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /118